भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1963

2 अगस्त, 2024 को उत्तर देने के लिए

युवा पीढ़ी में बांझपन

1963. श्री वी. वैथिलिंगमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में देश की युवा पीढ़ी में बांझपन एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक फर्टिलिटी सेंटर खुल गए हैं और ये व्यावसायिक रूप से कार्य कर रहे हैं और यद्यपि निजी केन्द्र अत्यधिक शुल्क लेते हैं, तथापि फर्टिलिटी की सफलता दर बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकारी अस्पतालों में फर्टिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए सरकार के आगे आने की संभावना है ताकि युवा पीड़ी लाभान्वित हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार, पात्र जोड़ों में बांझपन की घटना लगभग 14-16% है। बांझपन को बढ़ावा देने वाले कारकों में देरी से विवाह, मातृत्व की आयु में वृद्धि, मोटापा, थायराइड रोग, मधुमेह, धूम्रपान, शराब का सेवन, प्रदूषण और रासायनिक संपर्क इत्यादि शामिल हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, युवा पीढ़ी को सहायता प्रदान करने हेतु, देश के निम्नलिखित अस्पतालों में आईवीएफ सुविधाएं दी जा रही हैं-

(i) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

(ii) मौलाना आजाद चिकित्सा महाविद्यालय, नई दिल्ली

(iii) लोक नायक अस्पताल, नई दिल्ली

(iv) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

(v) भारतीय नौसेना अस्पताल जहाज अश्विनी, मुंबई

(vi) जे.एन. मेडिकल कॉलेज, एएमयू, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश

(vii) स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) मॉडल अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली

(viii) कस्तूरबा अस्पताल, दरियागंज, नई दिल्ली

(ix) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

इसके अलावा, सरकार ने सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों को विनियमित करने, सुरक्षित और नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 लागू किया है। सरकार ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 भी लागू किया है जो व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है, केवल स्वार्थहीन सरोगेसी की अनुमति देता है। यद्यपि, प्रजनन केंद्रों के शुल्क और सफलता दर से संबंधित डेटा को केंद्रीय रूप से अनुरक्षित नहीं किया जाता है।

****